मौसम के समय आवश्यक प्रबंधों के अभाव में असमय वर्षा अथवा वर्षाकाल की वर्षा के कारण भारी मात्रा में गेहूं खराब हो जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप इस वर्ष के दौरान अनुमानतः भीगे हुए गेहूं की मात्रा कितनी होगी ;

(ग) क्या सरकार भंडारों को बारिश से बचाने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध करायेगी ; और

(घ) क्या सरकार आगामी मौसम के लिए क्रय-प्रणाली में परिवर्तन करने का विचार रखती है ; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) और (ख) ऐसे कोई समाचार नहीं हैं ।

(ग) संबंधित एजेंसियों द्वारा मंडियों/क्रय केन्द्रों/भंडारण स्थलों पर स्टाक की सुरक्षा करने के लिए व्यवस्था की जाती है ।

(घ) वर्तमान वसूली प्रणाली, जोकि अनिवार्यतया मूल्य समर्थन परिचालन है, को जारी रखा जाएगा ।

Non-payment of compensation for losses in weight in transhipment of coal

*286. SHRI RAM AWADHESH SINGH:

SHRI CHIMANBHAI MEHTA:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Railways are not compensating for the losses in weight in transhipment of coal; and

(b) if so, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. K. JAFEER SHARIEF): (a) Yes Sir, except in cases where Railways' negligence is stablished.

(b) Coal is mostly booked at owners' risk rate where Railway's liability is normally not attracted.

दिल्ली विकास प्राधिकरण का तीन शाखाओं में विभाजन

*287. **श्री रणजीत सिंह :**

डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने दो वर्ष पूर्व सलाह दी थी कि दिल्ली विकास प्राधिकरण का तीन शाखाओं में विभाजन किया जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति द्वारा किए गये प्रस्ताव का सरकार द्वारा अध्ययन कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं,

(घ) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली का योजनाबद्ध तरीके से विकास कर पाने में असफल रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार इसके कार्यवरण में सुधार लाने के लिए दिये गए सुझावों को कब तक कार्यान्वित करने का विचार रखती है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

सरकार ने निम्नलिखित आधार पर दिल्ली विकास प्राधिकरण का पुनर्गठन करने का निर्णय 1987 में लिया था :

(i) दिल्ली विकास प्राधिकरण को उसके चार्टर में दिये गये अनुसार मुख्य

कार्य कलापों जैसे कि बृहद योजना तैयार करने, भूमि के अधिग्रहण, प्रबन्ध और विकास तथा उसके निपटान; तथा अन्य प्रासंगिक क्रिया-कलापों पर केन्द्रित होना चाहिए ।

(ii) आवास निर्माण क्रियाकलापों के लिये एक पृथक आवास बोर्ड गठित किया जाना चाहिये ।

(iii) स्लम तथा झुग्गी झोंपड़ी समूहों की देखभाल के लिये एक पथक स्लम बोर्ड की स्थापना की जाय ।

(iv) लाटरियों से संबंधित कार्य दिल्ली प्रशासन को अन्तरित किया जाय ।

(v) नियमित की गई अनधिकृत कालोनियों और शहरी गांवों के विकास और अनुरक्षण तथा पुनर्वास कालोनियों के अनरक्षण कार्य दिल्ली नगर निगम को अन्तरित किया जाना चाहिय; और

(vi) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित तीन डयरी कालोनियों दिल्ली नगर निगम अथवा दिल्ली प्रशासन को अन्तरित की जाये ।

उपर्युक्त निर्णयों में से क्रम संख्या (v) पर उल्लिखित निर्णय को कार्यान्वित कर दिया गया है, । तथा पि० दिल्ली के ढांचे के पुनर्गठन संबंधी समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के कारण शेष निर्णयो पर कार्यवाही लम्बित रखी गई है । अब सरकार दिल्ली विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन के मामले को आगे बढ़ाने और आगामी समुचित कार्यवाही करने का विचार रखती है ।

यह कहना सही नहीं होगा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली के सुनियोजित विकास के अपने उत्तरदायित्व को निभाने में असफल रहा है ।

Lease of Railway land to Cooperative Housing Societies/Slum dwellers in Bombay

*288. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state;

(a) whether Government of Maharashtra have submitted any proposal to lease Railway land to the Cooperative Housing Societies or slum dwellers residing along railway lines in Bombay; and

(b) if so, what are the details thereof and Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. K. JAFFER SHARIEF): (a) Yes, Sir.

(b) Railways have already offered the land which is beyond the safety zone and is surplus to the Railways. Further action can be taken when the State Government come forward.

Dry Farming in Rajasthan

*289. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have any plans to introduce Dry Farming in Rajasthan;

(b) whether Government propose to take help from other countries for such technical know-how; and

(c) what other plans are being contemplated to produce such items which are suitable for the areas where less water is available in Rajasthan to make it self reliant?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BALRAM JAKHAR): (a) In view of preponderance of dry farming in Rajasthan, the Central and State Governments have been implementing various research and development schemes to stabilies and improve production in rainfed areas of Rajasthan.

(b) Research institutions take note of technical progress being made in other countries for improvement of arid zone agriculture while generating appropriate technologies.